भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3052
उत्तर दिनांक 11/03/2026 को दिया गया

जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना

3052. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर
श्री अरविंद गणपत सावंत

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजना से प्रभावित किसानों, मछली पकड़ने वाले समुदायों और स्थानीय हितधारकों के लिए जन सुनवाई, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन में पारदर्शिता और आजीविका आश्वासन कार्यक्रमों जैसे कोई विश्वास बहाली के उपाय आरंभ किए गए हैं अथवा प्रस्तावित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निरंतर स्थानीय विरोध को देखते हुए महाराष्ट्र में वैकल्पिक स्थलों की तलाश की गई है;

(घ) यदि हां, तो स्थल चयन अध्ययन, भूवैज्ञानिक/भूकंपीय मानदंडों का ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए मुआवजे और पुनर्वास पैकेजों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कौशल प्रशिक्षण और वैकल्पिक भूमि जैसे अतिरिक्त लाभों के साथ-साथ अनुमोदित, वितरित और लंबित निधि का ब्यौरा क्या है; और

(च) समुद्री पारिस्थितिकी, मत्स्य संसाधनों के संरक्षण और तटीय जैव विविधता संरक्षण के लिए निगरानी तंत्र, मछुआरा सहायता योजनाओं और पारिस्थितिक बहाली उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) वर्तमान में फ्रांसीसी पक्ष के साथ एक व्यवहार्य परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए चर्चा जारी है।

(ख) हां। परियोजना की व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट को सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराया गया और ईआईए अधिसूचना 2006 की आवश्यकताओं के अनुरूप जन सुनवाई भी आयोजित की गई। स्थल और संयंत्र की संरक्षा के बारे में कुछ लोगों की आशंकाओं, पुनर्वास से संबंधित मुद्दे और मत्स्य पालन और बागवानी जैसे पारंपरिक आजीविका साधनों के संभावित नुकसान से संबंधित चिंताओं का समाधान, सुव्यवस्थित जन-जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा स्थानीय भाषा में और विश्वसनीय तरीके से बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर किया गया है।

(ग) व (घ) विभाग को राज्य सरकार से वैकल्पिक स्थल के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) इस संदर्भ में मुआवजा और पुनर्वास पैकेज राज्य सरकार के परामर्श से तैयार किया गया है और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित धन राशि को एनपीसीआईएल ने जमा कर दिया है। वर्तमान में इसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) पैकेज के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य आर व आर नीति के तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार कुल 14.77 करोड़ रुपए, भूमि के मुआवजे हेतु एनपीसीआईएल द्वारा वर्ष 2010 में जमा कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2013 में अधिग्रहित सभी श्रेणियों की भूमि के लिए 22.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का अतिरिक्त मुआवजा (अनुग्रह राशि) देने की घोषणा की। एनपीसीआईएल द्वारा राज्य प्राधिकरणों के पास कुल 211 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि जमा की गई। एनपीसीआईएल ने दिनांक 16 अक्टूबर, 2010 को महाराष्ट्र सरकार के साथ पुनर्वास पैकेज पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए।

(च) परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी के अनुपालन के भाग के रूप में एक जैव विविधता संरक्षण योजना और मत्स्य पालन के लिए विशेष योजना तैयार की गई है और इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा स्वीकार किया गया है।

*****